

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

जेतूराम पुत्र मंगनाराम  
निवासी-केरपुरा, तहसील नावां  
किस्म प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

प्रतिवादीगण  
नेमाराम पुत्र गोपीराम  
निवासी-मारोट, तहसील नावां  
संख्या : 148 / 2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.06.2025	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपेन्द्रसिंह चौधरी ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 30.06.2025 को पेश हो।</p> <p>30/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 22/9/25 को पेश हो</p> <p>(जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p><u>23/9/25</u>: वक्ता की काज पेश हुई वकील वादी ने सम्मन तलबी के लिये पत्र पेश है जो दिनांक 20/11/25 को पेश हो।</p> <p>20/11/25 पत्रावली पेश हुई जोर एन्वैरिगेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 07/1/26 को पेश हो</p> <p>7/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 9/2/26 को पेश हो</p>	
11/2/26	<p>वकील वादी ने सम्मन वाद पत्र दावा के दावा परीक्षा लिये जाने तथा सम्मन को पक्षकार के मध्य शपथनाम हो जाने के जरिये विज्ञापन जारी करने के लिये पत्र पेश किया। सम्मन सीमा कट पत्रावली तलबी काज पत्रावली तलब की गई। पक्षकार के मध्य शपथनाम हो जाई है।</p> <p>क्या वाद वादी दखीन धारा 88, 188 R.T. Act 1955 परिसर विज्ञापन जारी किया जाया है मिसल दावे नम्बर से सम्मन होकर शपथनाम दखात है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	<p>जीतू कुलहरी 16/01/2026</p>